न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 357/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
ओमसिह पुत्र जोधसिह जाति राजपूत निवासी खुडियाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर		1– तहसीलदार भू अभिलेख बालेसर 2– उपखण्ड अधिकारी बालेसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 366
दिनांक 24–5–2018

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 1–2–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 तहसीलदार (भू.अभि.) बालेसर की ओर से राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान 2018 के दौरान ऐसे कदीमी व बारहमासी सार्वजनिक प्रवृति के रास्ते जो मौके पर चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन नही है, उनका राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे इन्द्राज करवाने बाबत प्रस्ताव क्रमांक भूअ/2018/409 दिनांक 23–5–18 के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष प्रेषित किया गया । जिसमे ग्राम खुडियाला के खसरा नंबरान 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 587/7, 587/8, 583, 584, 575 कुल 11 खसरा नंबरान की कुल 7.17 बीघा भूमि के प्रस्ताव प्रेषित किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने उक्त प्रस्ताव को सही एवं सटीक मानते हुए उनके अपीलाधीन आदेश क्रमांक 366 दिनांक 24–5–2018 के द्वारा राजस्व नक्शे मे तदनुसार अंकन (तरमीम) करने के आदेश पारित कर दिये तथा तहसीलदार बालेसर को तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पालना कर प्रतिवेदन प्रेषित करने का निर्देश जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव मे अपीलांट का खेत खसरा नंबर 585 शामिल ही नही था न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे भी उक्त खसरा नंबर 585 का कही उल्लेख था फिर भी अपीलांट के खसरा नंबर 585 की पूर्वी माठ पर

रास्ते के चलायमान होने बाबत नोट अंकन करते हुए नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्शा दिया जबकि ऐसा कही भी कोई आदेश नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 585 मे न तो कोई रास्ता चलता था और न ही वर्तमान मे चलायमान है उसके बावजुद भी नक्शे मे तरमीम कर दी जो बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के केवल अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से तरमीम की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार बालेसर ने भी बिना जांच किये तथा बिना मौका निरीक्षण किये अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने भी खातेदारो को बिना सुनवाई का अवसर दिये मनमर्जी से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिये ऐसा आदेश पारित ही नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अपीलांट के खेत खसरा नंबर 585 मौजा खुडियाला मे की गई तरमीम को निरस्त करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार बालेसर ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप मे अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष विधिवत दस्तावेजात के साथ प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–5–2018 एवं तहसीलदार बालेसर का प्रस्ताव कमांक भूअ/2018/409 दिनांक 23–5–18 एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत तरमीमसुदा राजस्व नक्शा जिसे इस आदेश का अभिन्न अंग माना है, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई की प्रक्रिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मे वर्णित खसरा नंबरान के खातेदारान को नोटिस या सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार हु–ब–हु तहसीलदार बालेसर को राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने एवं

नक्शे मे रास्ते की भूमि का लाल स्याही से अंकन करने बाबत आदेश पारित कर दिया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नेचुरल जस्टिस के विपरीत पारित किया हुआ होने से समर्थन योग्य नही है ।

इसके अलावा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–5–18 एवं तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कमांक भूअ/2018/409 दिनांक 23–5–18 मे अपीलांट के खातेदारी का खसरा नंबर 585 शामिल नही होते हुए भी राजस्व नक्शे मे अपीलांट के उक्त खसरा नंबर 585 मे से रास्ते के रूप मे लाल स्याही से जो तरमीम दर्शाई गई है, वह त्रुटिपूर्ण होने से उसे निरस्त किया जाना विधिसम्मत है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश कमांक 366 दिनांक 24–5–18 के अनुसरण मे अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबर 585 मे से रास्ते के रूप मे लाल स्याही से दर्शाई गई तरमीम को निरस्त करते हुए राजस्व नक्शे मे तदनुसार दुरस्त करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बालेसर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 1–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर